

18/01/2024

प्राप्तकर्ता के पास है। अतिरिक्त प्राप्ति  
अनुपालित। विद्यार्थी संपत्ति के तहत  
है। अब तक कोई भी पैसा नहीं है।  
माध्यम संपत्ति में एक-एक कर  
आवक संपत्ति गई। अतिरिक्त प्राप्ति  
अथवा प्राप्ति स्वयं उपलब्ध  
नहीं है। अतः प्रकरण अदम्य है।  
अदम्य पैरवी में खरीद किया जा रहा है।  
प्राप्तकर्ता संपत्ति शुरू होकर नए  
से काम है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

